

09/02/22

पत्रावली पेश हुई। अधिनक्ता प्राचा उपस्थित। अधिनक्ता प्राचा ने बहस का निवेदन किया। अधिनक्ता प्राचा की एक तरफ बहस चुनी गई। पत्रावली वास्ते अर्थात् दिनांक 24.02.2022 को पेश हो।

d.

24/02/22

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अधिनक्ता प्राचा उपस्थित। पत्रावली दिनांक 03.03.2022 को पेश हो।

d.

03/03/22

पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र पेश हुई। वकील प्राचा उपस्थित। मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अतः न्यायालय हाजा दाय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.02.2020 खारिज की जाती है। पत्रावली इसी तरह खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दायित्व हो एवं निममानुसार नम्बर से भेज हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)